फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... (मुकाम) ....

.... महेन्द्रकुमार वगैरह .... बनाम .... लादूराम वगैरह ....

किस्म मुकदमा .... 251 क नवीन रास्ता बाबत .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
6.1.18	प्रार्थी महेन्द्रकुमार पुत्र हेमराज शर्मा निवासी [illegible] व चेतराम पुत्र दुलाराम, जेठाराम पुत्र कालूराम लीलो सुशीला पत्नी चैनाराम माली निवासीगण [illegible] ने नवीन रास्ता बाबत धारा 251 क राजस्थान अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उप धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम [illegible] के खसरा नं. 155, 156, 240 रकबा 2.9213 हैक्टेयर में जाने हेतु अप्रार्थीगण लादूराम, नारायणलाल, बेनाराम रूपाराम पुत्र [illegible] रामराम, [illegible] [illegible] [illegible] पत्नी [illegible], [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] पुत्र [illegible], गोपाराम, प्रेमाराम पुत्र [illegible] [illegible] [illegible] मांगीलाल, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्नी [illegible] चुन्नीलाल [illegible] [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] चुनी पत्नी [illegible] [illegible] पत्नी [illegible] [illegible] पुत्र [illegible] [illegible] पत्नी [illegible] वगैरह को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी होकर पत्रावली दि० 30.1.18 को पेश होवे। SDM	

20/5/19

आज पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/
बैठक में पधारे हुऐ है/अवकाश पर है
अतः पत्रावली आइन्दा
दिनांक 8/7/19 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट
मारवाड़ जंक्शन

8/7/19

पत्रावली पेश हुई
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/
बैठक में पधारे हुऐ है/अवकाश पर है
अतः पत्रावली आइन्दा
दिनांक 20/8/19 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एंव मजिस्ट्रेट
मारवाड़ जंक्शन

20/8/19

Not Press

पत्रावली आज पेश हुई।
अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र शर्मा ने प्रा० पत्र को Not Press करने हेतु लिखित टिप्पणी की। पत्रावली की पूर्व आदेशिका मय संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दिनांक 6/11/17 के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार प्रा० पत्र सुरेन्द्र शर्मा ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को पेश किया था किन्तु दिनांक 6/11/17 की आदेशिका के अनुसार प्रा० पत्र प्रार्थी महेन्द्र कुमार वगैरह के द्वारा पेश किया गया था। साथ ही पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन में पाया गया कि अधिवक्ता सुरेन्द्र शर्मा का उक्त प्रा० पत्र में वकालतनामा पेश नहीं किया गया है अतः अधिवक्ता सुरेन्द्र शर्मा प्रार्थी की तरफ से पैरवी करने के अधिकारी नहीं है। जो कि न्याय का सुसंगत सिद्धान्त है कि बिना वकालतनामा के अधिवक्ता किसी भी पक्षकार की पैरवी नहीं कर सकता है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए
साथ ही दिनांक 24/1/19 की आदेशिका अनुसार प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र के अनुसार मूल प्रा० पत्र के प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बैनामा कर दिया गया है। जिस बाबत प्रार्थिया फूली देवी ने जमाबंदी की प्रति (जो कि प्रमाणित दस्तावेज नहीं) प्रा० पत्र के साथ पेश की है। जिससे सुस्पष्ट हुआ यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रह जाता है। साथ ही प्रार्थी पक्ष द्वारा काफी लम्बे समय से हस्तगत प्रकरण में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई है जिससे प्रा० पत्र को आगे चलाये जाने के प्रार्थी के इरादे पर प्रश्न खड़ा करते हैं अत: प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी में हक हिस्सा नहीं रह जाने तथा प्रार्थी पक्ष के निरन्तर लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण हस्तगत प्रा० पत्र को आगे चलाया जाना न्यायोचित नहीं। प्रार्थी पक्ष तथा अप्रार्थी पक्ष दोनों की बार-2 आवाज लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ साथ ही अन्य प्रार्थी फूली देवी भी अदालतन एवं वकालतन अनु० अत: पक्षकारान की अनुपस्थिति के कारण प्रा० पत्र को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 के तहत खारीज किया जाता है। साथ ही प्रार्थिया फूली कंवर को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी के संबंध में नवीन प्रा० पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र हैं। अत: वे शख्स बाबत नवीन प्रा० पत्र पेश कर सकते हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20/8/19 को सुनाया गया।	

पीठासीन अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 14:45:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: